



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 29.11.2022

1-थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा, हत्या के अभियोग में प्रकाश में आया आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.11.2022 को मु0अ0सं0 273/2022 धारा 302/120बी/394 भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्त प्रताप विश्वास पुत्र प्रहलाद विश्वास निवासी रामचन्द्रपुर थाना गोपालनगर जिला उत्तर चौबीस परगना पश्चिम बंगाल को सेक्टर 150 गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 08.11.2022 को मु0अ0सं0 273/2022 धारा 302/120बी/394 भादवि के अंतर्गत प्रकाश में आये अभियुक्त प्रताप विश्वास पुत्र प्रहलाद विश्वास द्वारा मोबाइल व मनी ट्रांसफर की दुकान चलाने वाले विजय सिंह की पुस्ता रोड ग्राम गढी समस्तीपुर में धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 273/2022 धारा 302/120बी/394 भादवि थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त का विवरण:

अभि0 प्रताप विश्वास पुत्र प्रहलाद विश्वास निवासी रामचन्द्रपुर थाना गोपालनगर जिला उत्तर चौबीस परगना पश्चिम बंगाल



2-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा, कम्पनी से सामान चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दो प्रिन्टर रोल लोहे के छोटे-बड़े, स्टेपलाईजर का कवर, दो मशीन कवर, एक मॉनिटर बरामद।

दिनांक 29.11.2022 को थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा कम्पनी से सामान चोरी करने वाले दो अभियुक्तों 1.अजय कुमार पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम रामपुर थाना शाहगंज जिला जोनपुर वर्तमान पता साहिल पब्लिक स्कूल के पास सुनार के बराबर वाली गली दीपक विहार खोडा कालोनी जिला गाजियाबाद 2. शहनवाज पुत्र तरीकल निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड देहात जिला हापुड देहात

को बी-54-55 के पास सेक्टर-57 से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के दो प्रिन्टर रोल, स्टेपलाईजर का कवर, दो मशीन कवर व एक मॉनिटर बरामद हुआ है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. अजय कुमार पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम रामपुर थाना शाहगंज जिला जोनपुर वर्तमान पता साहिल पब्लिक स्कूल के पास सुनार के बराबर वाली गली दीपक विहार खोडा कालोनी जिला गाजियाबाद
2. शहनवाज पुत्र तरीकल निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड देहात जिला हापुड देहात

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-553/22 धारा 380, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 02 प्रिन्टर रोल लोहे के छोटे-बड़े
2. 01 स्टेपलाईजर का कवर
3. 02 मशीन कवर
4. 01 मॉनिटर



#पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इस कड़ी में दिनांक 29.11.2022 को न्यायालय पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्तगण 1. देव शर्मा पुत्र भीष्म देव शर्मा 2. रविन्द्र नागर पुत्र राज सिंह 3. प्रशान्त शर्मा पुत्र बृजेश शर्मा जिनकी कुल सम्पत्ति मूल्य करीब 8 करोड 56 लाख 61 हजार रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में दिनांक 29.11.2022 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्तगण 1. देव शर्मा पुत्र भीष्म देव शर्मा निवासी वैदपुरा थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर, 2. रविन्द्र नागर पुत्र राज सिंह निवासी छपरौला थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, 3. प्रशान्त शर्मा पुत्र बृजेश शर्मा निवासी श्यामपार्क थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद के द्वारा अवैध रूप से अर्जित निम्न सम्पत्तियों को कुर्क किया गया जो

मु0अ0सं0 54/2019 अंतर्गत धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 से सम्बन्धित है। थाना- बिसरख

कुर्क की गयी सम्पत्तियों का विवरण-

1. अभियुक्तगण द्वारा अपनी कम्पनी मैसर्स एचटी कामाख्या डवलपर्स सी- 59 ग्राउण्ड फ्लोर सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर के नाम से बैंक ICICI में खोला गया खाता संख्या 081605006869। उक्त खाते को फ्रीज कराने दिनांक तक 12839.20 रूपये शेष थे। 2. इलाहाबाद बैंक में मैसर्स RDB HOME TOPPERS INFRATECH PRIVATE पता H 1A, 18 सैक्टर 63 नोएडा के नाम से इलाहाबाद बैंक सैक्टर 63 नोएडा में खोले गये खाते में लाखों रूपये का आदान प्रदान किया गया। उक्त खाता दिनांक 30.09.2021 को बन्द कर दिया गया। जमा धनराशी शून्य है।

अचल सम्पत्ति-

1. भूखण्ड सं0 45ए/सी 393.3 वर्ग मीटर, अनुमानित कीमत- 1601000 रूपये 2. भूखण्ड खसरा नं0 237 शाहबेरी दादरी 4765 वर्ग मीटर, अनुमानित कीमत- 6,19,45000 रूपये 3. भूखण्ड खसरा नं0 46 शाहबेरी दादरी 2090.25 वर्ग मीटर, अनुमानित कीमत- 2,09,03000 रूपये 4. भूखण्ड खसरा नं0 76 व 77 में 200 वर्ग मीटर, अनुमानित कीमत-12,00,000

जिनकी कुल सम्पत्ति मूल्य करीब 8 करोड 56 लाख 61 हजार रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।